# शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास

**Rajeev**
Kendriya Vidyalaya Sangathan, Sarahan, Himachal Pradesh

शिक्षा एक देश और समाज के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। उचित शिक्षा प्रणाली लोगों के विकास और समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर सद्गुणों का विकास करना, बच्चों को एक परिपक्व इन्सान बनाना होता है, ताकि वो कल्पनाशील, वैचारिक रूप से स्वतन्त्र और देश के भावी कर्णधार बन सकें। वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को सभी प्रकार के अंधकारों और बंधनों सें मुक्त करती है। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को अज्ञान–अंधकार तथा बंधनों से मुक्त कराना है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को असत्य और अपवित्रता से छुड़ा देती है। वह उसके विवेक को जागृत करके उसे बुद्धिमान बना देती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को एक नयी विचारधारा, नया सवेरा देता है। ये हमें एक परिपक्व समाज बनाने में मदद करता है। यदि शिक्षा के उद्देश्य सही दिशा में हो तो ये इन्सान को नये नये प्रयोग करने के लिये उत्साहित करते हैं। शिक्षा और संस्कार साथ साथ चलते हैं, या कहा जाये कि यह एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा हमें संस्कारों को समझने और बदलती सामाजिक परिस्थियों के अनुरूप उनका अनुसरण करने की समझ देता है। श्रेष्ठ शिक्षा सभी जीवों के प्रति दयाभाव सिखलाती है।

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में हम शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ह्रास हुआ। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया, जिस अनुपात में होना चाहिये था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारतीय शिक्षा को लेकर अनेक जद्दोजहद चलती रही। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए।

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE

जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो डा. जाकिर हुसैन ने शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भारत देश का प्रथम शिक्षामंत्री बनाया गया। उन्होंने देश की शिक्षा में प्रचार–प्रसार की कई नीतियाँ निर्धारित कीं। उन नीतियों का उद्देश्य भारत को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाना था। आजादी के बाद राधा कृष्ण आयोग (1948–49), विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग (1953), कोठारी शिक्षा आयोग (1964), शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968) एवं नवीन शिक्षा नीति (1986,92) आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय–समय पर सही दिशा देनें की गंभीर कोशिश की गयी।

संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में करीब चार अरब लोग साक्षर हैं और 77.6 करोड़ लोग न्यूनतम साक्षरता दर से भी नीचे हैं। इसका मतलब यह है कि हर पांच में से एक व्यक्ति निरक्षर है। दुनिया के लगभग 35 देशों में आज भी साक्षरता दर 50 फीसदी से भी कम है। मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार शिक्षा व साक्षरता की दिशा में सुधार के बावजूद विश्व की एक तिहाई अशिक्षित जनसंख्या भारत में है। इनमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति और जनजाति की आधे से अधिक महिलाएं अब भी निरक्षर हैं। शिक्षा के मामले में भारत में मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सात साल से अधिक आयु वर्ग की देश की कुल मुस्लिम आबादी का 46 प्रतिशत हिस्सा रहता है. जबकि मुस्लिम समुदाय के कुल निरक्षरों में से 58 फीसदी इन्हीं राज्यों में हैं। लगभग 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 19.2 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 14.8 और बिहार में 13.4 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 46 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहता है। राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी की 48 प्रतिशत रहती है. जबकि इस समुदाय के कुल अशिक्षितों में से 55 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार 1,210,193,422 आवादी वाले भारत देश, जिसमें कि 623,724,248 पुरूष व 586,469,174 महिलाएं हैं जिनमें कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है जिसमें कि 82.14 प्रतिशत पुरूष तथा 65.46 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है। आम जनमानस तक शिक्षा की पहुंच तथा शिक्षा के प्रति लोगों की जागृति व रूचि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर कई कार्यक्रम, अभियान तथा नीतियां बनाई गई लेकिन इन सब तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक परिणाम पूर्ण रूप से साक्षर भारत के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार द्वारा देश के हर नागरिक तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, अभियान तथा नीतियां निम्नलिखित हैं:

**सर्व शिक्षा अभियान**

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE

सर्व शिक्षा अभियान को नवम्बर 2000 को मंजूर किया गया और जनवरी 2001 को लागू किया गया। यह केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार की मिली–जुली योजना है। सर्व शिक्षा अभियान भारत में ज़िला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की योजना है। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने रणनीति अपनाकर कार्य किया गया है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को

शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता नौवीं योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच 85:15 की भागीदारी के आधार पर थी, दसवीं योजना के दौरान 75:25 और इसके बाद 50:50 के आधार पर है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950–51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997–98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950–51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996–97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई और आठवें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण (प्राथमिक स्रोत) के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 2,615,0318 हो गई है।

## सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

1. सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, 'बैक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता।
2. सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
4. सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
5. संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया हो, पर बल देना।
6. स्त्री–पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
7. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना।
8. केन्द्रित क्षेत्र – वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, विशेष जरूरतमंद बच्चे, सामुदायिक एकजुटता या संघटन, बालिका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता।

## मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गयी थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE

तक प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। किन्तु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बंट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2001 को दिए गए निर्देश के बाद से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ कर दी गयी है। मध्यान्ह भोजन योजना में निम्न उद्येश्यों को ध्यान में रख गया है:–

1. राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ईजीएस एवं अ.आइ.ई. केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय में छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाई–चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठा कर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।
6. इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र–छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। प्राथमिक व द्यिालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश में साक्षरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

## राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत 1988 में इस इरादे से की गई थी कि 15–35 आयु वर्ग में निरक्षर लोगों को सन 2007 तक 75 प्रतिषत कामचलाऊ साक्षर बना दिया जाएगा और इस स्तर को कायम रखा जाएगा। यह मिशन स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के जरिए लोगों को एकजुट करने और साक्षरता को सामाजिक शिक्षा और जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम में शामिल करने के उपायों पर निर्भर था। 2001 की जनगणना से पता चलता है कि देश में साक्षरता का स्तर 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 65.38 प्रतिशत तक पहुँच गया। पहली बार निरक्षर लोगों की कुल संख्या में गिरावट आई। इस एक दशक के दौरान निरक्षरों की वास्तविक संख्या 32.90 करोड़ से घटकर 30.40 करोड़ रह गई, किन्तु राष्ट्रीय औसत के इस आंकड़ों के पीछे बहुत अधिक

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE

विसंगतियाँ, कुछ क्षेत्रों में निरक्षरता और क्षेत्र, जाति और लिंग आदि जैसे कारणों से मौजूद भिन्नता निरंतर बनी हुई थी। इतना ही नहीं निरक्षर लोगों की कुल संख्या अब भी बहुत अधिक थी और ज्ञानवान समाज के लक्ष्य की तरफ बढ़ता कोई भी देश अपनी इतनी विशाल आबादी को निरक्षर नहीं रहने दे सकता। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित कुछ विषयों पर विचार किया गया:–

1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का दोबारा आकलन।
2. साक्षरता कार्यक्रमों और कम्पयूटर आधारित शिक्षा अभियानों में आईसीटी के उपयोग।
3. साक्षरता प्रयासों के लिए बहुमुखी रणनीति।
4. सामग्री का विकास और प्रशिक्षण।
5. साक्षरता में अभिनव सिध्दांतों और प्रयासों के लिए नए विचार।
6. औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ समकक्षता।

पुर्नसंरचना के बाद इसके स्थान पर नया साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 से लागू किया गया।

## निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है:–

1. 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

2. निजी स्कूलों को 6 से 14 साल तक के 25 प्रतिशत गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे । इन बच्चों से फीस वसूलने पर दस गुना जुर्माना होगा। शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चलाया तो एक लाख और इसके बाद रोजाना 10 हजार जुर्माना लगाया जायेगा।

3. विकलांग बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।

4. बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी होगी।

5. इस विधेयक में दस अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है. इसमें मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होने, स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशानिर्देशों के अनुरूप और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में लालफ़ीताशाही कम करना शामिल है।

6. प्रवेश के समय कई स्कूल केपिटेशन फ़ीस की मांग करते हैं और बच्चों और माता–पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है. एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE

विधेयक में किया गया है. बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25 हजार का जुर्माना। दोहराने पर जुर्माना 50 हजार।

7. शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे ।

## सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली

सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली यानी सीसीई (कांटीनुअस एंड कांप्रिहेंसिव इवोल्यूशन एजुकेशन) ऐसा सिस्टम है जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू किया है। सीसीई को छात्रों में बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिहाज से लागू किया है। नए सिस्टम के तहत छात्रों के अंक ग्रेड से बदल दिए गए, जिनमें शैक्षिक गतिविधियों के साथ कॅरीकुलर और एक्स्ट्रा कॅरीकुलर गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि छात्रों पर काम के दबाव को कम किया जाए और उनकी स्किल और क्षमताओं को अन्य गतिविधियों के आकलन द्वारा सुधारा जाए। उनकी अनुभव क्षमता, इनोवेशन, सततता, टीमवर्क, पब्लिक स्पीकिंग, व्यवहार आदि के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान किए जाए। इसकी सहायता से छात्र की क्षमता को आंका जाए। यह उन छात्रों के लिए काफी मददगार होगा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन दूसरी गतिविधियों में औसत या उससे भी आगे होते हैं। इससे उन्हें कला, खेल, संगीत आदि क्षेत्रों में खुद को तराशने का मौका मिलेगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई को लागू करने के पीछे कई आधार हैं। यह बच्चों का सतत और समग्र विकास के पक्ष को मजबूत करने के लिहाज से लाया गया है। अंकों के आधार पर छात्रों का आकलन करने की वजह से बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता था। साथ ही सीमित तकनीक होने की वजह से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि बच्चा कितना सीख रहा है। फिर केवल पास और फेल के आधार पर ही बच्चों की क्षमता को जांचने से उनमें हताशा पैदा होती थी।

## आंकलन का तरीका

असेसमेंट सेमेस्टर सिस्टम एजुकेशन के तहत किया जाता है। दो सेमेस्टरों में से प्रत्येक सेमेस्टर में दो फॉर्मेटिव और एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट विभिन्न क्षेत्रों में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें लिखित परीक्षा भी ली जाती है जिसका पेपर स्कूलों द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक फॉर्मेटिव असेसमेंट छात्रों के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में दस प्रतिशत का वेटेज लेता है। दो समेटिव असेसमेंट में लिखित परीक्षा होती है। इसमें नवीं–दसवीं में प्रश्नपत्र बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। पहले समेटिव असेसमेंट को अंतिम रिपोर्ट में 20 प्रतिशत का वेटेज मिलता है जबकि दूसरे समेटिव असेसमेंट को 40 प्रतिशत का वेटेज मिलता है। 2010 से बच्चों के पास ये पास ये विकल्प हो गया हैं कि वह इस बात का चुनाव कर सकें कि वह बोर्ड की समेटिव परीक्षा में बैठेंगे या स्कूल की। वेटेज इस तरह का होगा:– सेमेस्टर 1 (40 प्रतिशत) =एफ ए 1 =10 प्रतिशत +एफ ए 2 =10 प्रतिशत +एस ए 1 =20 प्रतिशत तथा सेमेस्टर 2 =(60 प्रतिशत) =एफ ए

3 =10 प्रतिशत + एफ ए 4 = 10 प्रतिशत +एस ए 2 =40 प्रतिशत । अतः सेमेस्टर 1 =40 प्रतिशत + सेमेस्टर 2 =60 प्रतिशत =100 प्रतिशत।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस महत्वपूर्ण मुल्यांकन पद्धती को अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो यह अपने आप में एक श्रेष्ठतम प्रणाली है। क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे का सम्पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ–साथ एक बेहतर इंसान बन सकता है। यह तभी सम्भव है जब सी0सी0ई0 के प्रति अध्यापक, छात्र व अभिभावक पूर्ण रूप से जागरूक होंगे और सभी अध्यापकों को इससे सम्बन्धित उचित प्रशिक्षण दिया जाए और छात्र शिक्षक अनुपात को भी सी0सी0ई0 के दिशा–निर्देशों के अनूरूप कायम रखा जाए।

सरकार समय–समय पर शिक्षा प्रणाली में सुधार व भारत को सम्पूर्ण शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं व कार्यक्रम चलाती रहती है। हम सब का यह कर्तव्य है कि हम सभी इन योजनाओं व कार्यक्रमों के सभी पहलुओं को समझें और उनका प्रचार–प्रसार आम जनमानस तक करें। खास कर उन विशेष समुदायों व जनजातीय क्षेत्रों तक जहां पर शिक्षा व शिक्षित समाज के प्रति कम रूचि देखी जाती है। सरकार को भी यह ध्यान रखना होगा कि चलाई जा रही योजनाएं व कार्यक्रम सही समय पर, सही व्यक्ति विशेष तक पहुंच रही हैं या नहीं। अगर हम सही मायनों में शिक्षित और विकसित भारत का सपना देखना चाहते हैं तो शुरूआत हर व्यक्ति को अपने आप से करनी होगी। हर व्यक्ति अगर स्वयं जागेगा, तभी सम्पूर्ण भारत जागेगा। तभी शिक्षा के लिए सब और सब के लिए शिक्षा होगी।

## सन्दर्भ

Altekar A.S. (2009), Education in Anicent India

Ghosh Suresh C. (2007), History of Education in India

Lal Raman Behari and Palod Sunita (2013), Policy Framework and Issues in Education

Nayar D.P. (2009), Education for Rural Devlopment

Yadav Saryug (2008), Language, Literature and Education

## Websites

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Board_of_Secondary_Education

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE